प्रकरण संख्या 18/2022 श्रीमती पुष्पा देवी बनाम श्रीमती फतु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.2024	पत्रावली प्रस्तुत। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्रीमती फतु कुंवर द्वारा आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत प्रकरण में दोनों पक्षकारों ने आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से समझौता कर लिया है इस अब प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहती है। पक्षकारान ने राजस्व ग्राम भवराना के आराजी नंबर 5521, 5522, 5523 में पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण 14 फिट चौड़ाई एवं 310 फिट लम्बाई की भूमि रास्ते हेतु प्रथम पक्षकार के आराजी नंबर 5532 व अन्य के आने जाने हेतु अलग से क्रय करना तय किया है एवं इस कारण पक्षकारों के मध्य अब विवाद समाप्त हो चुका है, जिससे प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपना धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र विड्रो कर लिया है। इस राजीनामा एवं विड्री प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट के विधिक वारिसान भी सदैव पाबन्द रहेंगे। अतः राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थीया/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति हो चुकी है तथा पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्ता श्री दुर्गासिंह शक्तावत एवं श्री संजय बोहरा द्वारा की गयी। अतः न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे। (प्रदीपसिंह सांगावत) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर Signature Not Verified Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat Date: 2024.10.30 12:49:42 IST Reason: SelfAttested	